

18 पीठसूची अधिकारी महोदय का अफसाना पर
होम / अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण
न्यायाधीश पूर्ण आदेशानुसार दिनांक 23/1/18
को पेश हो।

05.3.18 पत्रावली पेश हुनी | विद्वान अधिवक्ता आर्पीजन उपस्थित
नहीं | न्यायालय समय में बार-बार आवेजें लगायी गयी फिर
भी आर्पीजन / वकील आर्पीजन उप० नहीं हुये | हमने आदेशिका
को अवलोकित किया | आदेशिका दिनांक 14.01.18 को
न्यायालय ने प्रोपर तलबी नहीं होने से पुनः तलबाना
पेश करते के आदेश दिये | परन्तु 14.01.18 से आज
तक आर्पीजन की ओर से सजुचित एवं पर्याप्त अवसर
उपान्त किये जाते के बावजूद तलबाना पेश न हुआ।
लक्ष का समय जाया गया तथा कतः न्यायालय
भरगति आदेश 9 नियम 3 व 5 शैली में प्रार्थना
पत्र से खारिज केल मानता ही आर्पी का आर्पीजन
खारिज किया जाता ही पत्रावली पेशल कुमार देना
से वक्त भी जाकर भूलवाह के खय नहीं हो। (उपान्त)

उपसप्ट अधिकारी
अमरक (सच०)

उपसप्ट अधिकारी
अमरक (सच०)

